गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा
गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

जीबीयू-002/प्रशा/2.1/2025-5047 दिनांक 28/02/2025

:: कार्यालय आदेश ::

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-06/2025/364/तीस-03-2025 दिनांक 11.02.2025 के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट एवं चार पहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिए सीटबेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः उक्त के अनुपालन में विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी/शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी/छात्र-छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर में दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट एवं चार पहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिए सीटबेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाये।

(डॉ विश्वास त्रिपाठी)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः-

1. माननीय कुलपति महोदय के स्टाफ को महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
2. अधिष्ठाता, शैक्षिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. चेयरपर्सन परीक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त अधिष्ठातागण/प्रभारी अधिष्ठातागण को सूचनार्थ।
5. प्रभारी छात्र कल्याण/ मुख्य छात्रावास अभिरक्षक (पुरुष/महिला) को सूचनार्थ।
6. समस्त छात्रावास अभिरक्षकों को सूचनार्थ।
7. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
8. उप कुलसचिव को सूचनार्थ।
9. प्रभारी सुरक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश का अनुपालन विश्वविद्यालय परिसर में सुनिश्चित करायें।
10. सिस्टम मैनेजर, केन्द्रीय कम्प्यूटर सेन्टर को इस आशय से प्रेषित कि समस्त संकाय सदस्यो/अधिकारियों/कर्मचारियों तथा छात्र/छात्राओं को उनके ईमेल पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
11. समस्त छात्र-छात्राओं को सूचनार्थ
12. समस्त नोटिस बोर्ड
13. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

For display

3/3/25

Chief Warden Boys
Gautm Buddha University
Greater Noida (U.P.)

Office of the Chief Warden
Gautam Buddha University, Gr. Noida
RECEIVED
Date 28/02/2025